



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277361
CG-DL-E-23102026-277361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5528]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 5528]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5745(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित संकल्प संख्या फा. सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस, तारीख 7 अगस्त, 2023 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करती है, अर्थात्:--

सारणी

क्र. सं. (1)	विवरण (2)	सं. (3)	पदनाम (4)
क. सरकारी सदस्य:-			
1	मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	अध्यक्ष
2	राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2	उपाध्यक्ष

3	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री	36	सदस्य
4	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
5	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	सदस्य
6	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
7	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि:	3	सदस्य
	(i) गृह मंत्रालय;		
	(ii) शिक्षा मंत्रालय; और		
	(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
8	सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा से संबंधित सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि:	3	सदस्य
	(i) अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद		
	(ii) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और		
	(iii) निदेशक, वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, अहिल्यानगर		
9	अपर सचिव/संयुक्त सचिव (सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य सचिव

ख. गैर-सरकारी सह-योजित सदस्य

10	(i) श्री चंद्रशेखर नारायण मोहिते, 153, रुक्मिणी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र;	20	सदस्य
	(ii) श्री राजेश रामकृष्ण वाघ, रोडमार्क फाउंडेशन नागपुर, हिंगणा रोड, महाराष्ट्र;		
	(iii) श्री राम श्रीधर मुंजे, 323, अभ्यंकर नगर, नागपुर, महाराष्ट्र;		
	(iv) श्री देवराज चंद्र, 100 फीट वेलाचेरी बाईपास रोड, राजलक्ष्मी नगर, वेलाचेरी, चेन्नई, तमिलनाडु;		
	(v) डॉ. प्रवीण लाड, 805ए, भांडे प्लॉट स्क्वायर, उमरेड रोड, नागपुर, महाराष्ट्र;		
	(vi) श्रीमती लक्ष्मी देवी चट्टा, संस्थापक और सीईओ, लकरान क्यूबिक्स, (ईमेल: lakshmidevichatta@lakrancubix.com);		
	(vii) श्रीमती रश्मि आशुतोष श्रीवास, मराठी तेलीपुरा, नागेश्वर मंदिर के पास, जायसवाल ब्लॉक, बजेरिया, नागपुर, महाराष्ट्र;		
	(viii) श्री खेमराज धामाहे, प्लॉट नंबर 62, वेद नगर, नारा रोड, नारा, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र;		
	(ix) श्री सुनील फतेहपुरिया, फतेहपुर, सोनीपत, हरियाणा;		

(x) डॉ. माया टंडन, अध्यक्ष सह प्रबंध न्यासी, सहायता, 297, तरु छाया नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान;

(xi) श्री घनश्याम चौधरी, प्लॉट नंबर 177, ट्रस्ट ले-आउट, कैपस रोड, नागपुर-440033, महाराष्ट्र;

(xii) श्री एम. सूर्यनारायण रेड्डी, 19-4-9/डी7, एस.टी.वी. नगर, स्मार्ट बाज़ार के सामने, एयर बाई पास रोड, तिरुपति, आंध्र प्रदेश;

(xiii) सुश्री अदिति पैस, पुणे, महाराष्ट्र;

(xiv) श्री निर्मल जैन, 128, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान;

(xv) श्री रवींद्र तिवारी, ग्राम बोरकागांव, पो. राजवाडिह, थाना मेदिनीनगर सदर, जिला पलामू, झारखंड;

(xvi) श्री अमरेंद्र बागी, 204-बी, मनमोहन अपार्टमेंट, वीर शिवाजी रोड, उत्तर-एस.के. पुरी, बोरिंग रोड, पटना;

(xvii) श्री अनिल वाजपेयी, ए6, मानस नगर, कृष्ण नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश;

(xviii) श्री सत्यमूर्ति डी., फ्लैट नंबर 602, वासु ब्लॉक, नुंगमबक्कम रेलवे स्टेशन के सामने, चेन्नई;

(xix) डॉ. तृप्ति पुराणिक, सीईओ, परिवर्तन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, (ईमेल: truipuranik@parivartaninstitute.org); और

(xx) श्री कार्तिगेयन मीनाक्षीसुंदरम, 20, लॉसन रोड, छावनी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।

11 सड़क सुरक्षा से संबंधित संघों के अध्यक्ष: 3 सदस्य

(i) अध्यक्ष/सचिव, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली;

(ii) कार्यकारी निदेशक, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ, नई दिल्ली; और

(iii) अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, नई दिल्ली

2. परिषद, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर निर्दिष्ट करें। परिषद अपने कार्यकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का निर्णय करेगी।
3. परिषद वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी।
4. उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 7, 8, 10 और 11 में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
5. उपरोक्त सारणी की क्रम संख्या 10 में निर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विहित व समय-समय पर यथा संशोधित दरों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

[फा. सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस(199035)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5745(E).—In exercise of the powers conferred under section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of Resolution number F. No. RT-25014/1/2015-RS, dated the 7th August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the National Road Safety Council, as per the Table given below, namely:--

TABLE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	No. (3)	Designation (4)
A.	Official Members:-		
1.	Minister for the Ministry of Road Transport and Highways.	1	Chairman
2.	Minister of State for the Ministry of Road Transport and Highways.	2	Vice-Chairman
3.	Ministers-in-charge of Road Transport of all States and Union territories.	36	Members
4.	Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.	1	Member
5.	Chairman, National Highways Authority of India.	1	Member
6.	Director General (Road Development) and Special Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.	1	Member
7.	Representatives from Central Ministries/Departments	3	Members

(i) Ministry of Home Affairs;

(ii) Ministry of Education; and

(iii) Ministry of Health and Family Welfare.

8.	Representatives from the Government Institutions related to Road Construction, Road Safety and Insurance (i) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad; (ii) Director, Automotive Research Association of India, Pune; and (iii) Director, Vehicle Research Development Establishment, Ahilyanagar.	3	Member
9.	Additional Secretary/Joint Secretary (Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways	1	Member Secretary

B Non-Official Co-Opted Members

10.	(i) Shri Chadrashekhar Narayan Mohite, 153, Rukhmini Nagar, Nagpur, Maharashtra; (ii) Shri Rajesh Ramkrishna Wagh, Roadmarc Foundation Nagpur, Hingna Road, Maharashtra; (iii) Shri Ram Shridhar Munje, 323, Abhyankar Nagar, Nagpur, Maharashtra; (iv) Shri Devaraj Chandru, 100 Ft. Velachery Bypass Road, Rajalakshmi Nagar, Velachery, Chennai, Tamil Nadu; (v) Dr. Pravin Lad, 805A, Bhande Plot square, Umred Road, Nagpur, Maharashtra; (vi) Smt. Lakshmi Devi Chatta, Founder and CEO, Lakran Cubix, (email: lakshmiddevichatta@lakrancubix.com); (vii) Smt. Rashmi Ashutosh Shrivastava, Marathi Telipura, Near Nageshwar Mandir, Jaiswal Block, Bajeriya, Nagpur, Maharashtra; (viii) Shri Khemraj Dhamahe, Plot No. 62, Ved Nagar, Nara Road, Nara, Jaripatka, Nagpur, Maharashtra; (ix) Shri Sunil Ftehpuriya, Fatehpur, Sonipat, Haryana; (x) Dr. Maya Tandon, Chairperson cum Managing Trustee, Sahayta, 297, Taru Chhaya Nagar, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan; (xi) Shri Ghanshyam Choudhari, Plot No. 177, Trust Lay-out, Campus Road, Nagpur-440033, Maharashtra; (xii) Shri M. Suryanarayana Reddy, 19-4-9/D7, S.T.V. Nagar, Opp.: Smart Bazaar, Air bye pass road, Tirupati, Andhra Pradesh; (xiii) Ms. Aditi Pais, Pune, Maharashtra; (xiv) Shri Nirmal Jain, 128, Vasundhara Colony, Tonk road, Jaipur, Rajasthan; (xv) Shri Ravindra Tiwari, Village Borkagaon, P.O. Rajwadih, P.S.	20	Members
-----	--	----	---------

Medininagar Sadar, District Palamau, Jharkhand;

(xvi) Shri Amarendra Bagi, 204-B, Man Moahn Apartment, Vir Shivaji Road, North-S.K. Puri, Boring Road, Patna;

(xvii) Shri Anil Bajpai, A6, Manas Nagar, Krishna Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh;

(xviii) Shri Sathyamoorthy D., Flat No. 602, Vasu Block, Opp. Nungambakkam Railway Station, Chennai;

(xix) Dr. Trupti Puranik, CEO, Parivartan Training and Development Institute, (Email: truptipuranic@parivartaninstitute.org); and

(xx) Shri Karthigayan Meenakshisundaram, 20, Lawson's Road, Cantonment, Tiruchirappalli, Tamil Nadu.

11. President of Associations related with Road Safety: 3 Members

(i) President/Secretary, Society of Indian Automobile Manufacturers, New Delhi;

(ii) Executive Director, Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi; and

(iii) President, All India Motor Transport Congress, New Delhi.

2. The Council shall discharge such functions relating to the road safety programme as the Central Government, having regard to the objects of the Motor Vehicles Act, 1988, may specify from time to time. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.

3. The Council shall hold its meeting at least once a year.

4. The term of the Members specified at Serial No. 7, 8, 10 and 11 of the aforesaid Table, shall be for a period of two years.

5. Non-official Members specified in Serial No. 10 of the aforesaid Table, shall be entitled to traveling and daily allowances at the rates prescribed by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, as amended from time to time.

[F. No. RT-25014/1/2015-RS(199035)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.